न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 123/2013

GCMS NO. : 2013/00280

–: प्रार्थीगण :–

1. पूनाराम पुत्र तेजाराम
2. अमराराम पुत्र पूनाराम
3. चन्द्राराम पुत्र पूनाराम
4. परमा देवी पत्नी पूनाराम

जातियान जाट निवासी आसरलाई तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. आसूराम पुत्र पुनाराम कुमावत
2. देवाराम पुत्र पुनाराम फौत के का.मु.
   - 2.1 सोहनी देवी पत्नी देवाराम
   - 2.2 प्रकाश पुत्र देवाराम
   - 2.3 राकेश पुत्र देवाराम
   - 2.4 गोविन्द पुत्र देवाराम
   - 2.5 मंजू बाई पुत्री देवाराम
3. नारामयण पुत्र शिवदान फौत के का.मु.
   - 3.1 गलकाई पत्नी नारायण
   - 3.2 लक्ष्मणलाल फौत के का.मु.
     - 3.2.1 रमेश पुत्र लक्ष्मणराम
     - 3.2.2 इन्द्रा देवी पत्नी लक्ष्मणराम
     - 3.2.3 राजूड़ी पुत्री लक्ष्मणराम
     - 3.2.4 रुकमा पुत्री लक्ष्मणराम
     - 3.2.5 चिड़िया पुत्री लक्ष्मणराम
   - 3.3 नाथूराम पुत्र नारायण
   - 3.4 चम्पालाल पुत्र नारायण
   - 3.5 लीला बाई पुत्री नारायण
4. पप्पुराम पुत्र कानाराम कुमावत
5. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम कुमावत
6. गैरकी पुत्री कानाराम कुमावत
7. सुखी देवी पुत्री कानाराम कुमावत
8. सिणगारी पत्नी कानाराम कुमावत
9. लालूराम पुत्र पूनाराम कुमावत निवासी धारानगरी आसरलाई तहसील जैतारण
10. श्रवण पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण
11. रमेश पुत्र भंवरलाल ब्राह्मण
12. रामचन्द्र पुत्र जसराज ब्राह्मण निवासी आसरलाई तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.05/03/2013

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

दिनॉकः– 28/03/2022

–:: निर्णय ::–

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सायलान की ख[illegible] कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 413 रकबा 8–00 [illegible] 413/1 रकबा 1–01 बीघा, खसरा नम्बर 401 रकबा 6–5 बीघा, खसरा नम्बर 415 रकबा 3[illegible] बीघा, खसरा नम्बर 414 रकबा 11–11 बीघा में 40/231 वे हिस्से की ज[illegible] राजस्व मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण में आई हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सायलान की उक्त खातेदारी जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निमाज से बलाड़ा जाने वाले रास्ते से पूर्वी तरफ स्थित खसरा नम्बर 434 जो कि सायलान के खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन है के बाद आया हुआ है यानि इस रास्ते के पूर्वी तरफ गैरसायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 434/1 रकबा 60 बीघा गैरसायलान संख्या 01 से 09 की आई हुई है इसी प्रकार खसरा नम्बर 434 रकबा 18-15 बीघा गैरसायलान संख्या 10 से लगायत 12 की आई हुई है। गैरसायलान संख्या 01 से लगायत 09 व 10 से लगायत 12 की जमीन के खाते अलग अलग है एवं मौके पर भी जमीन अलग अलग है। लेकिन नक्शा ट्रेश मे उक्त भूमि तरमीम नही होने से गैरसायल संख्या 10 से लगायत 12 को भी अप्रार्थीगण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। सायलान की विवादित भूमि में आवागमन करने का कदीमी रास्ता गैरसायलान संख्या 01 से 09 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 434/1 रकबा 60 बीघा में से होता हुआ खसरा नम्बर 400 की भूमि के माठ के चिपते हुये दक्षिणी तरफ से होकर गुजरता है। उक्त रास्ता सायलान के खातेदारी विवादित भूमि तक रास्ता जाता है उक्त रास्ता सायलान व अन्य पड़ौसी खेतों वालों का यह कदीमी रास्ता है। जो मौके पर लगभग 20-22 फुट चौड़ाई में चलता है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 434/1 में से होते हुये खसरा नम्बर 400 की माठ के दक्षिणी तरफ से होता हुआ निकलता है। उक्त रास्ता कदीमी है सायलान के विवादित भूमि पर आवागमन करने का इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। सायलान अपने इस विवादित कृषि भूमि पर रहकर सायलान अपना कृषि कार्य भी कर रहे है। सायलान के परिवार के बच्चे, पशुधन, ट्रेक्टर साधन आदि इसी रास्ते से होकर आवागमन करते है। रास्ते का नजरी नक्शा बनाकर इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें रास्ते को मार्क ए, बी, सी से दर्शाया गया है। माफिक नजरी नक्शे में दर्शाय अनुसार सायलान द्वारा उक्त भूमि वर्षो पूर्व खरीद किये जाने से पूर्व पूर्ववर्ती खातेदार भी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग बतौर आवागमन के करते रहे है तथा रास्ता मौके पर खुला चला आ रहा है। सायलान इस रास्ते का बतौर आवागमन के रूप में एज ऑफ राईट सुखाचार के रूप में काम में लेते आ रहे है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए,बी,सी से दशाये गये रास्ते वाले स्थल से होकर सायलान वर्षो पूर्व से आवागमन करते रहे है। उक्त रास्ता कदीमी है। जो सेटलमेंट के समय से ही मौके पर चल रहा था लेकिन वक्त सेटलमेंट के नक्शा ट्रेश में तरमीम नहीं हो पाया तथा उक्त रास्ते की भूमि गैरसायलान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई थी। किन्तु मौके पर रास्ता आज दिन तक वर्तमान में भी चल रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने की वजह से गैरसायलान संख्या 01 से 09 बदनियतीपूर्वक उक्त रास्ता बंद करने [illegible] रहा है। यदि गैरसायलान सायलान के इस एक मात्र रास्ते को बंद कर देना है तो सा[illegible]शा हमेशा के लिये अपने कृषि कुए व मकानों पर आवागमन [illegible] सायलान को भारी परेशानी होगी व नुक्सान होगा। इस बाबत सायलान [illegible]धिक प्रावधानों अनुसार रास्ते की मुआवजा राशि देने बाबत भी तैयार है व उसके बावजूद भी गैरसायलान नहीं मान रहे है। सायलान का निमाज से बलाड़ा जाने वाले रास्ते से होते हुये नजरी नक्शे में दर्शाये माफिक सायलान की विवादित भूमि तक जाने का एक मात्र यही रास्ता है जो नजरी नक्शे में मार्क ए,बी,सी से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नम्बर 434/1 में से होकर के गुजर रहा है। माफिक नजरी नक्शे के सायलान अपने रास्ते को राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ते के दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता सायलान का कदीमी रास्ता है। जिसका विधि अनुसार मुआवजा राशि भी अदालत श्रीमान द्वारा तय किया जाये। उक्त मुआवजा राशि सायलान देने को भी तैयार है या न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते की भूमि मार्क ए,बी,सी को खसरा नम्बर 434/1 व 434 से कम किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। व रास्ते का खसरा नम्बर अलग से भी कायम किया जाना आवश्यक है। एवं रास्ते को भी नक्शा ट्रेश में तरमीम करवाने का अधिकारी है। सायलान को उक्त रास्ते की इजमेंट ऑफ नेसेसिटी है। इसलिये भी सायलान रास्ता कायम करवाने के अधिकारी है जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 10 से 12 को बार बार रूक रूक कर आवाजे दिलाई गई, बावजुद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 02 के का.मु. की और से वकालतनामा पेश हुआ। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 से 9 की और से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 से 9 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 हैं। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनों का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य जानकारी बनावटी एवं आधारहीन होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि गैरसायलान अप्रार्थीगण के चिपते ही नही है एक खेत माणक रेगर, सोहनदास व भीकमदास की कृषि भूमि को छोड़ कर दुरी पर स्थित है। खसरा नम्बर 434/1 रकबा 60 बीघा कृषि भूमि गैरसायलान संख्या 1 से 9 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है, और इनका खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ रेत की खन्दक लगी हुई है। एवं इस पर कांटो की बाड़ की हुई है। सायलान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 434 गैरसायलान संख्या 1 से 9 तक की खातेदारी कृषि भूमि से दूर खेतो में जाने वाला रास्ता जो आसरलाई कि गौशाला से होता हुआ गांवाई नाड़ी के पास होता हुआ रास्ता खेतो में जाता है। जिस पर सायलान की कृषि भूमि स्थित है। ग्राम निमाज से बलाड़ा जाने वाले रास्ते से पूर्वी तरफ स्थित नही है। यह तथ्य जानबूझ कर गलत लिखवाया है। नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सम्वंत् 2066 से 2069 की जवाब प्रार्थना पत्र के साथ में संलग्न है, जो इसका एक भाग माना जावे। सायलान की कृषि भूमि में आवागमन का रास्ता गैरसायलान संख्या 1 से 9 तक की खातेदारी कृषि भूमि में नही है न ही मौके पर कदीमी रास्ता है। गैरसायलान की खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ पुरानी रेत की खन्दक सेटलमेंट के समय से बनी हुई है। ... बाड़ की हुई है। सायलान की जमीन में आवागमन का रास्ता ग्राम आसरलाई की गौशाला के सामने से होता हुआ गांवाई नाड़ी की पाल के पास होता हुआ आगे खेतो में जाता है, जो यह रास्ता करीबन 15-20 फुट चौड़ा रास्ता है, और मौके पर मौजूद है। जिसका मौके का नजरी नक्शा बनाकर पेश किया जा रहा है, जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। नजरी नक्शा में बताये मार्क लाल रंग से जो रास्ता दर्शाया है, इस रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पर सायलान की जमीन नजदीक है जो मात्र 30 फुट की दुरी पर स्थित है। और उस रास्ते से सायलान आवागमन करता है, और एक रास्ता बलाड़ा जाने वाली सड़क से कच्चा रास्ता रामचन्द्रजी ब्राह्मण की कृषि भूमि से पहले होता हुआ जाता है, जो मौके की नजरी नक्शा बनाकर पेश किया हुआ है। सायलान का गैरसायलान संख्या 1 से 9 तक की खातेदारी संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि में वक्त सेटलमेंट से लेकर आज तक कभी मौके पर रास्ता नही था न ही वर्तमान में मौके पर रास्ता है। केवल मात्र गैरसायलान के कब्जे काश्त की कृषि भूमि हड़प करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र बनावटी एवं आधारहीन तथ्यो पर पेश किया है। खसरा नम्बर 434/1 रकबा 60 बीघा कृषि भूमि में कदीमी आवागमन का कोई मौके पर रास्ता नही है। गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के पड़ौस पूर्व दिशा में चन्दू रेगर, सोहनदास,भीकमदास, हासम खां लौहार, मंगला बाबेल एवं भंवरलाल जाट की खातेदारी जमीन है। पश्चिम में बलाड़ा जाने का रास्ता है। उत्तर दिशा में बाबू भडियार व गोलाराम काणिया चौधरी की कृषि भूमि है। एवं दक्षिण दिशा में रामचन्द्रजी ब्राह्मण की कृषि भूमि है। सायलान् की खातेदारी कृषि में आवागमन का रास्ता डाग में जाने वाले रास्ते पर हेमाराम चौधरी की कृषि भूमि के चिपते ही 100 फुट की दूरी पर है। और इसी रास्ते से सायलान आवागमन करते है। सायलान की कृषि भूमि से गैर सायलान की कृषि भूमि के चिपते ही नही है। सायलान ने गलत नजरी नक्शा बनाकर पेश किया है। गैरसायलान की कृषि भूमि में मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता नही है। तो ऐज ऑफ राईट सुखाचार के रूप में काम में लेने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। जो कानूनी रूप से मेन्टीनेबल नहीं है। काबिल खारिज के है, जो खारिज फरमावे। सायलान की जमीन सेटलमेंट से नहीं है खरीदी हुई है, तो सायलान का यह कहना कतई गलत है कि मौके पर सेटलमेंट से रास्ता है। बल्कि गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की संयुक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 434/1 रकबा 60 बीघा गैरसायलान संख्या 1 से 9 तक की खातेदारी की कृषि भूमि है। जो मौके पर शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। और कृषि भूमि के चारो तरफ सेटलमेंट के समय से पुरानी रेत की खन्दक लगी हुई है। एवं कांटो की बाड़ की हुई है। मौके पर कोई रास्ता नही है। सायलान का आवागमन का रास्ता ग्राम आसरलाई की गौशाला के सामने होता हुआ गांवाई तालाब के सहारे सहारे आगे डांग में एवं खेतो में रास्ता जाता है, जो मौके पर करीबन 20 फुट चौड़ा रास्ता है। जो नजरी नक्शे में मार्क ए से बी डोटेरी लाईन से लाग रंग से दर्शाया हुआ है। जब सायलान के आवागमन का रास्ता मौके पर मौजूद है तो नये सिरे से गैरसायलान संख्या 1 से 9 तक की खातेदारी संयुक्त कृषि भूमि में से कोई रास्ता प्राप्त करके [illegible] अधिकारी नही है। तो गैर कानूनी रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित मुआवजा राशि [illegible]य नही की जा सकती है। न ही खसरा नम्बर 434/1 की कृषि भूमि [illegible] कम करके रास्ता दर्ज किया जा सकता है। न ही इजमेंट राईट सायलान को प्राप्त होते है। न ही कोई रास्ते की नेसेसिटी है। क्योकि सायलान का आवागमन का रास्ता इनकी कृषि भूमि के पूर्व दिशा में ग्राम आसरलाई से टूंकड़ा जाने वाली सड़क के चिपते ही मार्क ए से बी लाल रंग से दर्शाया हुआ है, इसी रास्ते से सायलान आवागमन करते है। केवल मात्र गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि को हड़प करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नियत से एवं तंग व परेशान करने की नियत से आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत प्रार्थना पत्र पेश किया जो काबिल खारिज के है, जो मय खर्चे के खारिज फरमावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व नजरी नक्शा मय दस्तावेज पेश कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./281 दिनांक 07.06.2017 तथा पत्र क्रमांक/भू.अ./20/571 दिनांक 17.02.2020 मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा पटवारी पटवार हल्का जैतारण द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट तथा नजरी नक्शा पेश किया जो सा0मि0 है। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत मौका एवं तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं भु.अ.नि. की मौका फर्द के अनुसार प्रार्थी द्वारा खेत में जाने हेतु वर्तमान में रास्ता नहीं है। उपरोक्त रास्त कृषि कार्य हेतु चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता मार्क ए बी खसरा नम्बर 434/1 में लम्बाई 900 फीट एवं चौड़ाई 13 फीट यानि 1087 वर्ग मीटर अर्थात लगभग 14 बिस्वा, मार्क सी डी खसरा नम्बर 423 में 145 फीट लम्बा, 419 में से 500 फीट लम्बा व 418 में से 300 फीट लम्बा अर्थात कुल लम्बाई 950 फीट एवं चौड़ाई 13 फीट यानि 1148 वर्ग मीटर अर्थात लगभग 15 बिस्वा है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 तक की ओर से लिखित बहस पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। जिसमें कथन किया गया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि अप्रार्थीगण की आराजी के चिपते ही नही है। खसरा संख्या 434/1 की भूमि के चारो तरफ रेत की खन्दक लगी हुई है तथा कांटो की बाड़ की हुई है। खसरा संख्या 434 की भूमि निमाज, बलाड़ा रास्ते के पूर्वी तरफ नही है। प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की आराजी से कोई कदीमी रास्ता नही चल रहा है। प्रार्थीगण का आवागमन का रास्ता ग्राम आसरलाई की गौशाला के सामने से होता हुआ गांवाई तालाब के सहारे आगे खेतो में जाने वाले रास्ते से हैं। अतः प्रार्थीगण के लिए रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नही है। नायब तहसीलदार जैतारण एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज की फर्द मौका रिपोर्ट अुनसार एक अन्य वैकल्पिक रास्ता जो नजरी नक्शा में लाल स्याही से सी से डी दर्शाया हुआ है, सायलान की खातेदारी भूमि में पहुंच हेतू उपलब्ध है जो गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 487 से खसरा नम्बर 123, 419, 418 में से होकर खसरा नम्बर 415 सायलान की खातेदारी कृषि भूमि में मिलता है। जिसकी लम्बाई केवल 145 फुट ही है जबकि गैरसायलान की खातेदारी जमीन में से 900 फुट दूरी पड़ती है। अतः न्यूनतम एवं निकट्तम रास्ता वैकल्पिक रास्ता नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया सी से डी रास्ता है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र कानूनन बखरी पर पेश किया है जो पोषणीय नही होने से काबिल खारिज के है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:43:04 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर लिखित व मौखिक बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया।

1. प्रार्थीगण खातेदार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया हैं कि उसकी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सरहद मौजा आसरलाई में खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 8-00 बीघा, खसरा नम्बर 413/1 रकबा 1-01 बीघा, खसरा नम्बर 401 रकबा 6-5 बीघा, खसरा नम्बर 415 रकबा 3-07 बीघा, खसरा नम्बर 414 रकबा 11-11 बीघा में 40/231 वे हिस्से की जमीन स्थित है। उक्त आराजी तथा निमाज, बलाड़ा सड़क मार्ग के बीच में खसरा नम्बर 434 व 434/1 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण की आराजी की पहुंच के लिए रास्ता उपलब्ध करवाया जाये, जिसके बदले प्रार्थीगण मुआवजा राशि देने के लिए तैयार है।

2. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि अप्रार्थीगण की आराजी के चिपते ही नही है। खसरा संख्या 434/1 की भूमि के चारो तरफ रेत की खन्दक लगी हुई है तथा कांटो की बाड़ की हुई है। खसरा संख्या 434 की भूमि निमाज, बलाड़ा रास्ते के पूर्वी तरफ नही है। प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की आराजी से कोई कदीमी रास्ता नही चल रहा है। प्रार्थीगण का आवागमन का रास्ता ग्राम आसरलाई की गौशाला के सामने से होता हुआ गांवाई तालाब के सहारे आगे खेतो में जाने वाले रास्ते से हैं। अतः प्रार्थीगण के लिए रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में बिन्दूवार तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन तहसीलदार जैतारण से तलब किया गया, जिसे तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 17.02.2020 को प्रस्तुत किया। उक्त जांच प्रतिवेदन एवं मौका फर्द दिनांक 11.02.2020 को नायब तहसीलदार जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक निमाज, पटवारी निमाज द्वारा मौके पर तैयार की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 8-00 बीघा, खसरा नम्बर 413/1 रकबा 1-01 बीघा, खसरा नम्बर 401 रकबा 6-5 बीघा, खसरा नम्बर 415 रकबा 3-07 बीघा, खसरा नम्बर 414 रकबा 11-11 बीघा में 40/231 वे हिस्से की जमीन संयुक्त खातेदारी ग्राम आसरलाई में स्थित है। जिसके पहुंच के लिए वर्तमान में भू अभिलेख में कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग आत्यंतिक है न कि केवल सुविधा के लिए। प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए दो विकल्प प्रस्तावित है-1. ए से बी- बलाड़ा आसरलाई सड़क से खसरा संख्या 434/1 से होकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 413 में पहुंचा जा सकता है। जिसकी लम्बाई 900 फीट तथा चौड़ाई 13 फीट है जिसका कुल क्षैत्रफल 14 बीस्वा होता है। 2. सी से डी- द्वितीय विकल्प के रूप में गैरमुमकिन रास्ता खसरा संख्या 487 से खसरा नम्बर 423, 419 व 418 की भूमि में से होकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 415 की सीमा तक पहुंचा जा सकता है जिसकी कुल लम्बाई 950 फीट तथा चौड़ाई 13 फीट है जिसका कुल रकबा 15 बीस्वा होगा, जिसमें से खसरा संख्या 423 में से 2 बीस्वा, खसरा संख्या 418 में से 5 बीस्वा तथा खसरा संख्या 419 में से 8 बीस्वा होगा।

4. राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है:-

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

251- क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(A)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)- जहां-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251ए में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो साथ ही कोई भी वैकल्पिक [illegible] नहीं हो।

5. उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की रास्ते के लिए मांग केवल सुविधा के लिए न होकर आत्यंतिक आवश्यकता है तथा न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प के रूप में बिन्दू संख्या 3 के विवरण अनुसार नायब तहसीलदार जैतारण एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज की रिपोर्ट अनुसार आसरलाई बलाड़ा सड़क मार्ग से खसरा संख्या 434/1 की आराजी में से मौका रिपोर्ट में लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्याही से अंकित ए से बी तक कुल 900 फीट लम्बा व 13 फीट चौड़ा रास्ता ...का कुल क्षैत्रफल 14 बीस्वा होता है, को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना विधिसंगत होगा। अन्य विकल्प न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प की श्रेणी में नही आने के कारण स्वीकार्य नही है।

6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 310430/- रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 31.043 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसका कुल रकबा 14 बीस्वा अर्थात 1087 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 310430/- रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 31.043 प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 62.086 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 14 बिस्वा अर्थात 1087 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 67,500/- रूपये (अक्षरे सतसठ हजार पॉच सौ रूपये मात्र) निर्धारित की जाती है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए आसरलाई-बलाड़ा सड़क मार्ग से अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 434/1 रकबा 60 बीघा में से नायब तहसीलदार जैतारण एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शित ए से बी तक 900 फीट लम्बा व 13 फीट चौड़ा जिसका कुल रकबा 14 बीस्वा अर्थात 1087 वर्गमीटर बनता है खातेदारान् के कुल रकबे में से कम किया जाकर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना तथा इसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 67,500 रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम आसरलाई तहसील जैतारण जिला- पाली राज0 के खसरा नम्बर 413 रकबा 8-00 बीघा, खसरा नम्बर 413/1 रकबा 1-01 बीघा, खसरा नम्बर 401 रकबा 6-5 बीघा, खसरा नम्बर 415 रकबा 3-07 बीघा, खसरा नम्बर 414 रकबा 11-11 बीघा में 40/231 वे हिस्से की जमीन तक पहुंच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता ग्राम आसरलाई के खसरा संख्या [illegible] रकबा 60 बीघा में से नायब तहसीलदार जैतारण एवं भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शित ए से बी [illegible] फीट लम्बा व 13 फीट चौड़ा जिसका कुल रकबा 14 बीस्वा अर्थात 1087 [illegible]मीटर बनता है भूमि पर से अप्रार्थीगण खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खातेदारान् की वर्तमान प्रचलित डी०एल०सी० दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 14 बिस्वा अर्थात 1087 वर्ग मीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 67,500/- रूपये (अक्षरे सतसठ हजार पाँच सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 434/1 के खातेदारान् के मध्य भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/03/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:04 IST
Reason: SelfAttested